राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर–302015

(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांकः– प.3(ई)एसीपी / अलेसे–II / 1994 / 911 दिनांकः– 16/12/2019

आदेश संख्या 217/2019–20

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7)एफ.डी. / रूल्स / 2008 दिनांक 12.09.2008, एफ. 11(7)एफ.डी. / रूल्स / पार्ट–I / 2008 06.10.2008 एवं प.14(88)एफ.डी. / रूल्स / 2008 दिनांक 31.12.2009 के अनुसरण में निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में 18 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे–बैण्ड–2 (9300–34800) में ग्रेड–पे 4800 / – में स्वीकृत की जाती है।

क्र.सं.	नाम (सर्वश्री)	मेरिट / बैच / लिंक नं.	कनिष्ठ लेखाकार / समान लेवल के अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.*	जितेन्द्र सिंह	463 / 94 2625	18.03.1996 (मध्यान्ह पश्चात)	19.03 2014	9 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर देय

*उपरोक्त क्रम संख्या 1 पर अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के गत सात वर्ष में से पूरे 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर नियमानुसार गत 09 वर्ष में से 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर तद्नुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त कार्मिक / कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें:–

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में द्वितीय आश्वास्ति कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गई है।
3. कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित आश्वासित कैरियर प्रगति देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
4. इनके विरूद्ध फौजदारी / विभागीय जांच लंबित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
5. गत 7 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही है।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक
दिनांकः– 16/12/2019

क्रमांकः– प.3(ई)एसीपी / अलेसे–II / 1994 / 911

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संबंधित विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष ....
2. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I / एपीएआर शाखा)
3. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II ....
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट) हेतु।
6. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)

D:\SAS-II\sas-ii\kailash ji\order